निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 105/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर **के माह 08/2013 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक **द्वारा दिनांक 01.12.2016 से 08.12.2016 तक में श्री** शशिकांत पाण्डेय, **लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

<u>भाग-I</u>

1ए **<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री** राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.08.2013 से 08.08.2013 तक श्री डी.के. पिपलानी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी था। जिसमें माह 08/2009 से 07/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर द्वारा जनपद के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ii) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
	स्थापना `	**गैर स्थापना `**	**आवंटन `**	**व्यय `**	**आवंटन `**	**व्यय `**		
2013-14	-	-	678.49	678.49	133.21	133.21	-	-
2014-15	-	-	763.94	763.94	136.34	136.34	-	-
2015-16	-	-	766.93	766.93	119.96	119.96	-	-
2016-17 (10/2016)	-	-	762.44	550.76	35.00	35.00	-	211.68[1]

[1] इकाई के वेतन भत्ता इत्यादि मदों का आगामी महीनों में भुगतान किया जाना बाकी होने के कारण अवशेष प्रदर्शित हो रहा है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अधिक्य (-) `	बचत (-) `
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय एवं जिला योजना से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। **यह निरीक्षण प्रतिवेदन** प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 एवं 09/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया। शून्य (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन शून्य (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

शून्य

भाग-II 'ब'

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

प्रस्तर 1 : किराये के मद में ` 1191375.00 की वसूली का विलम्बित रहना।

प्रस्तर 2 : निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ` 47250 की हानि।

प्रस्तर 3 : जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू0 1.72 लाख के चेकों का अनियमित वितरण एवं वितरित चेंकों की धनराशि रू0 1.02 लाख का कैश बुक में अनियमित प्रविष्टि।

प्रस्तर 4 : रू0 10 लाख के ब्लड कम्पोनेन्ट सेपेरेशन युनिट का अधोमानक निर्माण।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : किराये के मद में ` 1191375.00 की वसूली का विलम्बित रहना।

जिला चिकित्सालय रूद्रपुर की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्रमशः दुकान संख्या 2 (जनरल स्टोर), दुकान संख्या 3 (मेडिकल स्टोर) एवं दुकान संख्या 4 (कैन्टीन) श्री जय बहादुर, श्री विजय कोचर एवं श्री बबलू वोरा को आंवटित की गई थी। उक्त दुकानदारों पर जून 2016 तक कुल ` 1191375.00 बकाया थे जिनकी वसूली शेष थी।

क्रमांक	सर्वश्री	आवंटन वर्ष	जून 16 तक अवशेष देय धनराशि
1	जयबहादुर	दुकान नं0–2 दिनांक 01.08 .2009	81972
2	विजय कोचर	दुकान नं0–3 01.12.2008	1016623
3	बबलू बोरा	दुकान नं0–4 दिनांक 21.11.13	92780
		योग	**1191375**

इसके अतिरिक्त दुकान संख्या–1 को 15 अगस्त 2016 को इंदिरा अम्मा कैंटीन को आवंटित की गई थी जो इसके पूर्व में रिक्त रही।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने स्पष्ट किया कि वसूली हेतु RC का निर्णय किया गया है। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त दुकानें अत्यधिक समय से चल रही है। और वसूली हेतु पूर्ण प्रयास नहीं किये गये।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण ` 47250 की हानि।

जिला चिकित्सालय ऊधमसिंह नगर में वाहन पार्किंग से सम्बन्धित ठेके के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दिनांक 29.08.2014 को ठेके हेतु आहुत बोली के अनुक्रम में श्रीमती राबिया बेगम के साथ दिनांक 11.09.2014 से दिनांक 11.09.2015 के किये अनुबंध किया गया। पुनः दिनांक 18.12.15 से 17.12.16 की अवधि हेतु निविदा प्रक्रिया के पूर्णोरान्त श्री अर्जुन बेदी के साथ ` 42800.00 पर अनुंबंध किया गया।

दिनांक 11.09.15 से 17.12.15 तक की पार्किंग व्यवस्था के बारे में विभाग ने स्पष्ट किया कि पार्किंग व्यवस्था बंद थी। इस प्रकार निविदा प्रक्रिया के विलम्ब से पूर्ण करने के कारण ` 47250[2] न्यूनतम की राजस्व क्षति हुई।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[2] नोट–1– पूर्व निविदा मूल्य = 189000
11.9.15 to 17.12.15 में किये
= $\frac{189000X3}{12}$ = 47250

भाग 02 ब

प्रस्तर 3 : जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू0 1.72 लाख के चेकों का अनियमित वितरण एवं वितरित चेंकों की धनराशि रू0 1.02 लाख का कैश बुक में अनियमित प्रविष्टि।

भारत सरकार द्वारा संचालित एन.आर.एच.एम. योजना के तहत संचालित जननी सुरक्षा योजना तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा प्रदान करने हेतु गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए दवाओं एवं अन्य जांच के साथ –साथ प्रसव के उपरांत प्रोत्साहन के रूप में (ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतु क्रमशः 1400 एवं 1000 रूपयें प्रदान किये जाने का प्रावधान है। चेकों का वितरण लाभार्थी अथवा उसके निकट संबंधी को ही किया जा सकता था तथा चेक वितरण रजिस्टर पर लाभार्थी अथवा उसके निकट संबंधी के हस्ताक्षर अंकित करवानें आवश्यक थे। उपरोक्त योजना से संबंधित पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदान की जानी वाली प्रोत्साहन राशि (ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र हेतु क्रमशः 1400 एवं 1000 रूपयें) चिकित्सालय द्वारा लाभर्थियों को प्रदान किये गये है जिनमें सें कुल 149 ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है (विस्तृत विरण संलग्न प्रपत्र 01) जिनमें लाभार्थियों के हस्ताक्षर के बिना ही चेक प्रदान किया गया है (कुल धनराशि रू0 1.72 लाख)। इस संबंध में चिकित्सालय द्वारा ऐसे प्रकरणों में जिनमें कि लाभार्थी चेक प्राप्त करने के लिए चिकित्सालय में उपस्थित नहीं हुए थे, के प्रकरणों का निस्तारण कर माह दिसम्बर 2015 तक न वितरित हुए चेकों के धनराशि को कैश बुक में सम्मिलित करने के लिए चिन्हित किया गया गया था। इस सूची के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 91 ऐसे प्रकरण थे (विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र 02) जिन्होनें चेक प्राप्त कर लिया था, परन्तु उपरोक्त वितरित धनराशि को भी कैश बुक में सम्मिलित कर लिया गया था (कुल धनराशि रू0 1.02 लाख)।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उपरोक्त प्रकरणों में बिना लाभार्थी अथवा उसके निकट संबंधी के हस्ताक्षर के चेकों का वितरण संभव नहीं है, तथा वितरित चेकों की धनराशि कैशबुक में अंकित करने का कार्य चेकों का मिलान कर के किया गया है। फिर भी लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित प्रकरणों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विभाग के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति का स्वतः ही सत्यापन हो जाता है।

इस प्रकार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू0 1.72 लाख के चेकों का अनियमित वितरण एवं वितरित चेंकों की धनराशि रू0 1.02 लाख का कैश बुक में अनियमित प्रविष्टि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 02 ब

प्रस्तर 4 : रू0 10 लाख के ब्लड कम्पोनेन्ट सेपेरेशन युनिट का अधोमानक निर्माण।

एन.आर.एच.एम. योजना के पत्रावलियों के अवलोकन के दौरान एन.एच.एम. के अन्तर्गन निर्माण किये जाने वाले ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट हेतू अतिरिक्त कक्ष के निर्माण सम्बन्धी पत्रावली के अवलोकन में यह प्रकाश में आया कि उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, देहरादून द्वारा पत्र संख्या यू0के0एच0डब्ल्यू0एस0/एन0एच0एम0/2015–16/428 दिनांक 17 दिसम्बर 2015 द्वारा उपरोक्त कक्ष के निर्माण हेतु 10 लाख रूपये निर्गत किये गये थे। जिसमें 50 स्कावयर मीटर के कक्ष जिसमें 05 फीट की उचाई तक टाइल्स, फर्श पर वेट्रीफाइड टाइल्स, 01 किनारे 3 फीट चौड़ा एवं 10 फीट लम्बा स्लैब तथा हैवी ड्यूटी विद्युत वाईरिंग के साथ 02 एसी लगे हो का निर्माण किया जाना था। चिकित्सा प्रबंधन की बैठक के दौरान उपरोक्त कार्य ग्रामीण निर्माण इकाई रूद्रपुर से कराने का निर्णय लिया गया था। कार्य माह मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना था। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत आलेख प्रदान करने के उपरांत कार्यालय के पत्र संख्या एन0एच0एम0/सिविल कार्य/2015–16/1688–90 दिनांक 12.02.2016 द्वारा रू0 06 लाख की धनराशि ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रेषित की गयी थी। पुनः विभाग द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पत्र संख्या एन0एच0एम0/सिविल कार्य/2015–16/1887 दिनांक 29.03.2016 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 04 लाख इकाई को निर्गत किये गये थे। उपरोक्त निर्माण कार्य के भौतिक निरिक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त कक्ष का निर्माण एक तरफ से पूर्व में स्थित भवन के दिवार के साथ बिना किसी दिवार निर्माण के किया गया है जिसमें अन्तराल आने के कारण बारिश के समय जल टपकता है तथा जिसका उल्लेख कार्यालय नें पत्र संख्या रक्तकोष/कम्पोनेन्ट/2016–17/ दिनांक 08 अक्टुबर 2016 में करते हुये कार्यालय ने भवन को हस्तांतरित करने से मना कर दिया था।

इस संबंध में इकाई से यह पूछे जाने पर कि क्या निर्माण इकाई द्वारा प्रदत्त आरेख में चारों तरफ दिवार का निर्माण कराया जाना था अथवा पूर्व से स्थित भवन के साथ ही उपरोक्त निर्माण कार्य कराया जाना था। विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया । साथ में यह पूछे जाने पर कि दिवारें कई स्थान पर फट गई है तो क्या इन परिस्थिति में ब्लड सेपेरेशन यूनिट का कार्य किया जा सकता है। विभाग ने अवगत कराया कि ऐसी स्थिति नहीं है कि कार्य सम्पादित नहीं किया जा सकें । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभाग ने जल रिसाव के कारण भवन हस्तांतरित करने से मना कर दिया था जिसके कारण रोगियों को ब्लड कम्पोनेंट सेपेरेशन यूनिट का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका था।

इस प्रकार रू0 10 लाख के ब्लड कम्पोनेन्ट सेपेरेशन यूनिट के अधोमानक निर्माण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN प्रस्तर**
64/2004-05	1	1	-
159/2005-06	0	1	-
24/2007-08	1	1, 2	-
19/2009-10	1	1, 2, 3, 4	-
11/2013-14	0	1, 2, 3	

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दिया जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्धित बिजली बिलों में बकाया की सूचना।

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
.....शून्य.....			

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधमसिंह नगर, रूद्रपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)